न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01/2026	10.04.2026	08.05.2026

1. महेन्द्र पुत्र विनोद जाट निवारी जटवाड़ा खुर्द तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
2. सरदार सिंह पुत्र सियाराम धोबी निवारी बड़ौद तहसील खण्डार।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री धर्मेन्द चौधरी प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः—

- यह कि प्रार्थी सं० 1 ग्राम जटवाड़ा खुर्द तहसील व जिला सवाई माधोपुर का स्थाई निवासी है तथा प्रार्थी सं० 2 ग्राम बड़ोद तहसील खंडार जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है।
- यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 1953/456 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम कस्बा खण्डार तहसील खंडार में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण निरन्तर रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।
- यह कि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि तरमीम शुदा भूमि है। जिसका प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान दिनांक 24/12/2025 को श्रीमान तहसीलदार खंडार के आदेश के अनुसार विधिवत रूप से रेवेन्यू टीम के द्वारा करवाया था जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
- यह कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के लिये प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की पत्थर गढ़ी बाबत श्रीमान तहसीलदार खंडार को प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन तहसीलदार खंडार द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं तहसीलदार खंडार द्वारा प्रार्थीगण ने कहा कि पत्थर गढ़ी के आदेश श्रीमान उपजिला कलेक्टर खंडार से लेकर आओ तब जाकर आपकी भूमि की पत्थर गढ़ी का कार्य सम्पन्न होगा इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष पेश करना लाजिमी आया।
- यह कि प्रार्थीगण भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है।
- यह कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।
- यह कि अन्य उज्जरात वक्त बहस [illegible] किये जावेंगे।
- अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान [illegible] है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार फरमाया जाकर [illegible] ख.नं. 1953/456 [illegible] 8 बीघा वाके ग्राम कस्बा खण्डार तहसील खंडार जिला सवाई माधोपुर की भूमि [illegible] गढ़ी करवाने का आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम करबा खण्डार की विवादित भूमि खसरा नम्बर 1953/456 रकबा 8.00 बीघा वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 837 में महेन्द्र पुत्र विनोद जाति जाट हिस्सा 3/4 व सरदार सिंह पुत्र सियाराम हि. 1/4 जाति धोबी सा. बडोद के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक नक्शा शीट उक्त खसरा नम्बर 1953/456 तरमीमशुदा है। उक्त खसरे का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 24/12/2025 को किया हुआ है जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न है। तथा वर्तमान में मौके पर कोई फसल काश्त नहीं है। पुलिस दल एवं राजस्व टीम की उपस्थिति में उक्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना सम्भव है।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 1953/456 रकबा 8.00 बीघा वांके ग्राम करबा खण्डार की भूमि पर प्रार्थी निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात तरमीम शुदा भूमि है। श्रीमानजी की सेवामे प्रार्थना पत्र बावत किये जाने पत्थरगढी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व खसरा नम्बर 1953/456 रकबा 8.00 बीघा वांके ग्राम करबा खण्डार की भूमि का पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1953/456 रकबा 8.00 बीघा वांके ग्राम करबा खण्डार के रिकॉर्डेड खातेदार है। खसरा नम्बर 1953/456 रकबा 8.00 बीघा वांके का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 24.12.2025 को किया हुआ है, मौके पर खातेदारों का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने के नाते अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकारी है।

आदेश

5. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डार को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 1953/456 रकबा 8.00 बीघा वांके ग्राम करबा खण्डार में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावें। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार खण्डार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर सूचित करें। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है। जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावें अगर पुलिस जाब्त की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार खण्डार को भिजवाई जावें। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:21:46 IST
Reason: SelfAttested